

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर**

**जिला चित्तौडगढ़**

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर०ए०एस०)**

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 29/2017

दायर दिनांक:- 03/07/2017

निर्णय दिनांक:- 18.08.2022

उनवान

1. श्री उदा पिता किशना गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।

वादी

बनाम

1. श्री मांगु पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
2. श्री जीतु पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
3. श्री मोहन पिता किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
4. मु० किशोरी बेवा किशोर गाडरी निवासी चाकुडी, तहसील भूपालसागर।
5. तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:- 1. श्री कृष्णचंद तुलछिया वादी वकील

-निर्णय:-

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:-

यह है कि मौजा चाकुडी पटवार हल्का रायपुरियाकला तहसील भूपालसागर के हल्के बेरुनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात 420 रकबा 0.34 है. आ.नं. 450 रकबा 0.35, आ.नं. 632 रकबा 0.08, आ.नं. 790 रकबा 0.21 है. आ.नं 791 रकबा 0.22 है. आ.नं. 853 रकबा 0.17 है. आ.नं. 877 रकबा 0.30 है. आ.नं. 965 रकबा 0.38 है. आ.नं. 968 रकबा 0.14 है. आ.नं. 969 रकबा 0.27 है. आ.नं. 989 रकबा 0.13 है. आ.नं. 991 रकबा 0.51 है. आ.नं. 992 रकबा 0.40 है. आ.नं. 1121 रकबा 0.28 है. आ.नं. 1131 रकबा 0.07 है. आ.नं. 1132 रकबा 0.16 है. कुल कित्ता 18 कुल रकबा 4.45 हैक्टियर स्थित है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाडा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोनने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 1/2 हक हिस्से अनुसार बंटवाडा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2018 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाडा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाडा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाडा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा-

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा है.
1	श्री उदा पिता किशना गाडरी सा०देह रहन ICICI बैंक लि० फतहनगर	420 632/2 790 877/2 892/2 965 969/2 968/2 989/2 991/2 1121/2 1132/2	0.34 0.04 0.21 0.24 0.37 0.38 0.01 0.01 0.06 0.45 0.14 0.12



2	किशोरी पत्नी स्व० किशोर (फौत के वारिस) 1/4 जीतू 1/4 मांगू 1/4 मोहन पिता किशोर गाडरी सा०देह खा०	450	0.35
		632/1	0.04
		791	0.22
		877/1	0.06
		853	0.17
		891	0.35
		892/1	0.02
		968/1	0.13
		969/1	0.26
		989/1	0.07
		991/1	0.06
		992	0.40
		1121/1	0.14
		1131	0.07
1132/1	0.04		

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं  
सहायक डिक्री अधिकारी  
उपखण्ड अधिष्ठाता, भूपालसागर  
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)